## अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
## (CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
## अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

छत्रपालसिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी चहड़कला लौहारू जिला भिवाणी (हरियाणा)

–वादी–

**बनाम**

1. श्रीमती मधु पत्नी भगतसिंह जाति जाट निवासीनी व्याख्याता वनस्पति विज्ञान लोहिया कॉलेज चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
2. शहनाज बानो पत्नी मोहम्मद अली जाति चेजारा निवासिनी चेजारों का मोहल्ला झारिया मोरिया के पीछे वार्ड नं. 37 चूरू (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

**दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.**
**मुकदमा नं. 472 सन् 2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री नरेन्द्र सिहाग व श्री कानसिंह राठौड़ एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर वादी द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा ख.नं. 427, 428, 431, 435, 436, 464/432, 666/433, 668/445 कुल तादादी 5.1724 हैक्टेयर रोही गाजसर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

| क्र. सं. | नाम खातेदार मय विवरण | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर में | किस्म भूमि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्रपालसिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी चहड़ कलां तहसील लौहारू खातेदार | 436 | 0.8094 | बारानी |
| | | 435 मिन | 0.0379 | बारानी |
| | | 668/445 मि. | 0.0633 | बारानी |
| | | किता–3 | 0.9106 | बारानी |

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | मधु पत्नी भगतसिंह जाति जाट निवासी चूरू खातेदार | 427 | 0.6197 | बारानी |
| | | 431 | 0.8347 | बारानी |
| | | 428 | 0.2276 | बारानी |
| | | 666/433 | 0.3414 | बारानी |
| | | 435 मिन | 0.9106 | बारानी |
| | | किता–5 | 2.9340 | बारानी |
| 3. | शहनाजबानो पत्नी मोहम्मदअली जाति चेजारा निवासी चूरू खातेदार | 664/432 | 1.2014 | बारानी |
| | | 668/445 मि. | 0.1264 | बारानी |
| | | किता–2 | 1.3278 | बारानी |

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि यह जांच करें कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, भूमि समस्त प्रकार के ऋण भार से मुक्त हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं हो, भूमि गैर खातेदारी/रकबा राज ना हो। बाद जांच उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06 माह मार्च सन् 2020 को जारी की गई।

(अचि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू